ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 7वीं बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थित : –

1.	प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन	सदस्य
3.	प्रो0 ज़ाहिद हुसैन ख़ान	सदस्य
4.	श्री अजमल हुसैन ज़ैदी	सदस्य
5.	श्री एस0के0 शुक्ल, कुल सचिव	पदेन सचिव

बैठक में श्री भानु प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी भी उपस्थिति रहे।

श्री योगेश मोहन जी गुप्ता अपनी निजी व्यवस्तताओं एवं श्री वी0डी0 मिश्रा अस्वस्थता के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके।

बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं कार्यपरिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मद संख्या–1 **दिनांक 13.04.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की 6वीं बैठक तथा दिनांक 16.08.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।**

कार्यपरिषद ने दिनांक 13.04.2016 को सम्पन्न हुई अपनी 06वीं बैठक तथा दिनांक 16.08.2016 को सम्पन्न हुई अपनी आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

मद संख्या–2(क) दिनांक 13 अप्रैल 2016 को कुलपति कक्ष में आयोजित कार्यपरिषद् की 06वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण।

दिनांक 13 अप्रैल 2016 को सम्पन्न हुई अपनी 06वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर कार्यपरिषद ने संतोष व्यक्त किया।

SKShukla

मद संख्या–2(ख) दिनांक 16 अगस्त 2016 को कुलपति कक्ष में आयोजित कार्यपरिषद् की आकस्मिक बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण।

दिनांक 16 अगस्त 2016 को सम्पन्न हुई अपनी आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर कार्यपरिषद ने संतोष व्यक्त किया।

मद संख्या–3 दिनांक 06.06.2016 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 6वीं बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णयों तथा कृत कार्यवाही की पुष्टि।

कार्यपरिषद ने दिनांक 06.06.2016 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के निर्णयों तथा निर्णयानुसार कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या–4 विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के आलेख्य पर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।

कार्यपरिषद ने प्रस्तुत प्रथम अध्यादेश के आलेख्य का अवलोकन किया। विषयगत आलेख्य के पुनरावलोकन हेतु कार्यपरिषद ने निम्नलिखित की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया–

1. प्रो0 ज़ाहिद हुसैन ख़ान, माननीय सदस्य, कार्यपरिषद।
2. कुल सचिव, विश्वविद्यालय।

अग्रेत्तर कार्यपरिषद ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान करने तथा रिपोर्ट अनुसार अध्यादेशों में यथा आवश्यक संशोधनों को कर के अध्यादेश शासन को निर्गमन हेतु भेजने के विषय पर अनुमोदन प्रदान करने के लिये कुलपति को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया।

मद संख्या–5 विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में विचार।

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 04.05.2016 एवं (चतुर्थ संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार व्यवस्थाओं/प्राविधानों को इस विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान सम्मिलित/प्रतिस्थापित किये जाने पर सम्यक रूप से समग्रता में विचार किया।

कार्यपरिषद ने यह नोट किया कि पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (द्वितीय संशोधन) विनियम–2013 दिनांक 13.06.2013 के अनुसार विश्वविद्यालय की परिनियमावली संशोधन का प्रस्ताव/संकल्प कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 16.08.2016 की अपनी आकस्मिक बैठक के मद संख्या–01(ब) से पारित किया जा चुका है। कार्यपरिषद का उक्त प्रस्ताव/संकल्प विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–440/उआफाविवि/कुसका/2016 दिनांक 23 अगस्त 2016 द्वारा माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। तत्क्रम में राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–ई–8049/24–जी0एस0/2016(III) दिनांक 19.09.2016 प्रेषित किया गया, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों

Ashuble

एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (चतुर्थ संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार सभी राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में संशोधन करने के निमित्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गई। राज्य सरकार द्वारा परिनियमावली संशोधन के प्रकरण में अद्यतन कोई कार्यवाही किये जाने की कोई सूचना नहीं है।

इस नव स्थापित विश्वविद्यालय में उक्त कारणों से नियुक्तियों की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है जिसके कारण गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था बाधित हो रही है।

कार्यपरिषद को यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा–(50) की उपधारा–(1) के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनायी जा चुकी है। अग्रेत्तर उक्त अधिनियम की धारा–(50) की उपधारा–(2) से कार्यपरिषद किसी भी समय, नये अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बना सकेगी अथवा उपधारा–(1) अथवा उपधारा– (1–क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित कर सकेगी।

चूंकि शिक्षकों की नियुक्ति विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं को विश्वविद्यालय परिनियमावली में समाहित किया जाना रिक्त शैक्षिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त करने के लिये जनहित एवं कार्यहित में आवश्यक है।

अतः कार्यपरिषद ने संकल्प/प्रस्ताव करने का निर्णय लिया कि पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (द्वितीय

Sushila

संशोधन) विनियम–2013 दिनांक 13.06.2013 के अनुसार परिनियमावली संशोधन के कार्यपरिषद के प्रस्ताव के सुसंगत एवं आवश्यक प्राविधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (तृतीय संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 04.05.2016 एवं (चतुर्थ संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 11.07.2016 के प्राविधानों के साथ इस विश्वविद्यालय की परिनियमावली में, ऊपर उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों क्रमशः दिनांक 13.06.2013, दिनांक 04.05.2016 एवं दिनांक 11.07.2016 में साम्यता (Resemble), सुसंगतता (Relevance) एवं समानता (Common) को सुनिश्चित करते हुये यथास्थान विहित प्रक्रियानुसार प्रतिस्थापित किया जाये।

कार्यपरिषद ने अग्रेत्तर यह भी निर्णय लिया कि संकल्प/प्रस्ताव अनुसार परिनियमावली संशोधन के प्रस्ताव को माननीय कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति हेतु भेजा जाए।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव/सचिव, कार्यपरिषद।

(प्रो0 खान मसऊद अहमद)
कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद।